


सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका



प्रारंभिकी 2023 विशेष-3

तथ्य एवं कथन आधारित

करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2023

यूपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुरूप

करेंट अफेयर्स प्रस्तुतीकरण का एक नया अंदाज़

वर्ष 2021-22 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित



साक्षात्कार



रश्मिलता
डिप्टी कलेक्टर
(UPPCS 2021)



अभिषेक प्रियदर्शी
डिप्टी कलेक्टर
(UPPCS 2021)

सामयिक आलेख

- भूमि निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण : सतत भूमि प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी
- स्वदेशी बीजों का संरक्षण : आधुनिक कृषि पद्धति की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक
- कॉप 27 सम्मेलन : जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारणीय मुद्दे एवं भारत की प्रतिबद्धताएं
- प्रौद्योगिकी विकास तथा सामाजिक परिवर्तन : आपसी अंतर्संबंध के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना
- आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास
- कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी
- 17वां G-20 शिखर सम्मेलन : आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण
- अपशिष्ट से ऊर्जा : महत्त्व, चुनौतियां एवं प्रयास
- व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस

67वीं बीपीएससी विशेष

मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्न

प्रारंभिकी 2023 विशेष

50 वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न

109

प्रारंभिकी 2023 विशेष-3

तथ्य एवं कथन आधारित करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022

157

50 वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न

सामयिक आलेख

- 06 भूमि निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण : सतत भूमि प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी
- 10 स्वदेशी बीजों का संरक्षण : आधुनिक कृषि पद्धतियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक
- 13 कॉप 27 सम्मेलन : जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारणीय मुद्दे एवं भारत की प्रतिबद्धताएं
- 16 प्रौद्योगिकी विकास तथा सामाजिक परिवर्तन : आपसी अंतर्संबंध के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना

इन फोकस

- 19 आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास
- 21 कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी
- 22 17वां G-20 शिखर सम्मेलन : आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण
- 24 अपशिष्ट से ऊर्जा : लाभ एवं चिंताएं
- 26 व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य..... 28-38

- 28 राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग
- 29 कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना
- 29 राष्ट्रीय सर्विधान दिवस
- 30 भारत के 22वें विधि आयोग का गठन
- 30 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के 23 सदस्यों की नियुक्ति
- 31 ईडब्ल्यूएस कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- 32 सुप्रीम कोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट पर लगाई रोक
- 32 आधार नियमों में संशोधन
- 33 टेलीविजन चैनलों के लिए नए दिशा-निर्देश

170

67वीं बीपीएससी विशेष मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्न

- 34 ग्रेट निकोबार द्वीप की व्यापक विकास परियोजना
- 35 डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ
- 35 मनरेगा लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण की पहल : प्रोजेक्ट उन्नति
- 36 गतिशील भू-जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट, 2022
- 37 भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण
- 37 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन का मसौदा
- 38 चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती

सामाजिक परिदृश्य 39-45

- 39 राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति
- 40 पॉक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
- 41 भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी
- 42 आदिवासी समुदायों की विरासत प्रदर्शित करने की पहल
- 42 यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
- 43 जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव
- 44 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 45 नई चेतना अभियान का शुभारंभ
- 45 8 अरब हुई वैश्विक आबादी

विरासत एवं संस्कृति 46-49

- 46 आचार्य जे.बी. कृपलानी की जयंती
- 46 आदिवासी लोकनायक बिरसा मुंडा
- 47 गुरु नानक देव की 553वीं जयंती
- 47 शिवाजी महाराज की तलवार
- 48 काशी तमिल संगमम
- 48 वांगला महोत्सव
- 49 निंगमा संप्रदाय
- 49 कडालेकाई परिशे उत्सव

आर्थिक परिदृश्य 50-59

- 50 फॉस्फेटिक और पोटैश उर्वरकों हेतु सब्सिडी
51 ICRISAT का मॉडलिंग अध्ययन
51 राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल
52 चाय उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की मांग
53 ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु रूपरेखा
53 पीपीपी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना
54 बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान
55 क्रेडिट-डिफॉजिट अनुपात
55 सॉवरेन ग्रीन बांड
56 4500 मेगावाट बिजली की खरीद हेतु योजना
57 मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन
57 शहरी बेरोजगारी दर में कमी
58 डेटा इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा
59 10वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट
59 ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज-2

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 60-69

- 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी तथा भारत
61 ब्लैक सी ग्रेन इनीशिएटिव
62 हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण
62 हरित समुद्री क्षेत्र पर भारत-नॉर्वे सहयोग
63 भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता
64 भारत और किर्गिज गणराज्य
65 19वीं भारत-आसियान शिखर बैठक
65 भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक
66 सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा कार्य समूह का 41वां सत्र
66 संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची
67 यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम
67 भारत तथा यूएई के विदेश मंत्रियों के मध्य बैठक
68 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
68 वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
69 शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक

पर्यावरण एवं जैव विविधता 70-80

- 70 CITES की कॉप 19 बैठक
71 सेना स्पेक्टैबिलिस : आक्रामक विदेशी प्रजाति
71 गंगा नदी डॉल्फिन
72 गैंडे के सींग का छोटा होना
73 मूदा कार्बन पृथक्करण द्वारा जलवायु परिवर्तन का न्यूनीकरण
74 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022
75 अरिस्टोपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल
75 मैग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट
76 प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022
77 पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने पर WMO की पहल
78 करक्यूमिन यौगिक द्वारा प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना

- 79 अंतरराष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन
79 भारतीय ब्लैक हनीबी
79 ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल
80 एसिक्लोफिनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 81-90

- 81 पीएसएलवी-सी54/ईओएस-06 मिशन
82 भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान : विक्रम-एस
83 आर्टेमिस 1 मिशन प्रमोचन
84 डब्ल्यूएचओ फंगल प्राथमिकता रोगजनक सूची
84 सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं पर मूल्य सीमा
85 अतिसार रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन
85 कॉर्डो गोल्ड नैनोपार्टिकल्स
86 लिथियम आयन बैटरी
87 दुर्लभ आनुवंशिक रोग : सेरेब्रोटेडिनस जैथोमैटोसिस
88 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर : AD-1
88 अग्नि-3 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल
89 कोरोनाल होल
89 बाईडू सैटेलाइट सिस्टम
90 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लेन
90 RISAT-2 उपग्रह

राज्यनामा 91-94

लघु सचिका 95-101

खेल परिदृश्य 102-104

साक्षात्कार 105-108

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा.लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- संपादक एन.एन. ओझा

भूमि निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण

सतत भूमि प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी

• संपादकीय डेस्क

मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के 14वें सत्र (United Nations Convention to Combat Desertification - UNCCD COP14) की बैठक में भारत सरकार ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की पुनर्हाली के लक्ष्य की घोषणा की थी। सरकार, विभिन्न योजनाओं एवं नीतिगत प्रयासों के माध्यम से अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं तथा वर्ष 2025-26 तक 4.95 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की ही पुनर्हाली होने की संभावना है।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए जारी परामर्श पत्र में निम्नीकृत भूमि (Degraded Land) को उत्पादक बनाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के बीच अभिसरण की सलाह दी गई है। भारत सरकार के इस परामर्श पत्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ



ही भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा देना है, जिससे भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण पर भी नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।

- * भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों के कारण भूमि की उत्पादकता के अस्थायी (Temporary) या स्थायी अधःपतन (Permanent Degeneration) होने से है। भूमि निम्नीकरण मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों कारणों से होता है। यह मानवीय गतिविधियों में भूमि की अधारणीय उपयोगिता, कृषि रसायनों के अत्यधिक उपयोग आदि के कारण होता है। इसके प्राकृतिक कारणों में चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखे का अधिक समय तक प्रभावी रहना प्रमुख कारक है।
- * मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण का ही एक रूप है, जिसके अंतर्गत उपजाऊ भूमि, मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। यह रेगिस्तान के आस-पास के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इन क्षेत्रों में रेत उपजाऊ मिट्टी को कवर कर लेती है और इसकी उर्वरता को प्रभावित करती है। राजस्थान में थार मरुस्थल से सटे क्षेत्रों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है।

भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण का बढ़ता संकट

- * मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार, देश में भूमि निम्नीकरण तथा मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। देश का लगभग 30 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र भूमि निम्नीकरण से प्रभावित है। देश के लगभग सभी राज्यों में पिछले 15 वर्षों में निम्नीकृत भूमि (Degraded Land) में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सबसे तेजी से वृद्धि जैव विविधता से संपन्न पूर्वोत्तर राज्यों में देखी गई है।

* इस एटलस के अनुसार, देश में 97.85 मिलियन हेक्टेयर (mha) भूमि पहले ही निम्नीकृत हो चुकी है। इसमें से 3.32 मिलियन हेक्टेयर भूमि 2003-05 से 2018-19 के बीच पिछले 15 वर्षों में निम्नीकृत हुई है। * राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सबसे अधिक निम्नीकृत भूमि है। राजस्थान में देश की कुल निम्नीकृत भूमि का लगभग 22 प्रतिशत है; परन्तु सरकार के प्रयासों

- से लगभग 3,88,000 हेक्टेयर भूमि को उत्पादक बना दिया गया है। * वहीं झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और गोवा में 50% से अधिक भूमि क्षेत्र मरुस्थलीकरण या क्षरण से गुजर रही है। केरल, असम, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश 10% से कम भूमि क्षरण वाले राज्य हैं।

भूमि निम्नीकरण एवं मरुस्थलीकरण के कारण

- * **निर्वनीकरण या वनस्पति हानि:** यह सर्वविदित तथ्य है कि वृक्ष पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों के काटे जाने के फलस्वरूप सूखा एवं हीट स्ट्रेस की परिघटनाओं में बढ़ोत्तरी होती है, जो अंततः भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण का कारण बनता है। > **भूमि-क्षरण:** निर्वनीकरण के कारण मिट्टी सीधे वर्षा, तेज वायु आदि के संपर्क में आ जाती है, जो मृदा एवं भूमि क्षरण का कारण बनता है।
- * **जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा भूमि उपयोग पद्धति:** किसी स्थान विशेष की जनसांख्यिकी में परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं की मांग तथा खपत पैटर्न में बदलाव लाता है। लोगों की आहार वरीयताओं में बदलाव के साथ ही इनकी मांग के अनुरूप भूमि उपयोग पैटर्न में भी परिवर्तन करना पड़ता है, जो भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- * **कृषि पद्धति में परिवर्तन:** देश में सदियों से परंपरागत कृषि पद्धति का उपयोग कर लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती रही है। मगर तकनीकी प्रगति एवं आधुनिक कृषि को अपनाने के पश्चात कृषि रसायनों तथा यंत्रों का प्रयोग बढ़ गया है।

स्वदेशी बीजों का संरक्षण

आधुनिक कृषि पद्धतियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक

• डॉ. अमरजीत भार्गव

स्वदेशी बीजों के संरक्षण की प्रक्रिया को सार्वभौमिक बनाने के लिए सरकारी नीतियों तथा अन्य उपायों को लागू करने के साथ जन-जागरूकता कार्यक्रमों को चलाया जाना आवश्यक है। इससे किसानों तथा समाज के अन्य समुदायों को जागरूक करने में सहायता मिलेगी। स्वदेशी एवं परंपरागत बीजों के लाभों के विषय में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सेमिनार तथा संगोष्ठियों का आयोजन करके शैक्षणिक जगत में भी लोगों को इनके लाभों से अवगत कराया जा सकता है। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी स्वदेशी बीजों के संरक्षण में अभूतपूर्व भूमिका निभा सकती है। अतः कृषि विकास के क्षेत्र में इस विषय से संबंधित शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

21 अगस्त, 2022 को विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस-2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत में कृषि वैज्ञानिकों की अनुसंधान क्रियाओं के माध्यम से बीजों के उत्पादन तथा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा की गई। वर्तमान समय में भारत अधिकांश खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भर है तथा अपनी व्यापक उत्पादन क्षमता के कारण



विश्व के अनेक देशों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। किसानों के परिश्रम, सरकार की किसान हितैषी नीतियों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाओं की सफलता के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है।

- * स्वदेशी बीजों के संरक्षण के उदाहरण प्रागैतिहासिक काल से ही देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में भी अनाज एवं बीजों के भंडारण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किंतु आधुनिक औद्योगिक क्रांति के पश्चात पारंपरिक बीजों के उपयोग तथा इनके संरक्षण में गिरावट देखने को मिली है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों का ध्यान खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने पर गया। इस दौरान, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान गतिविधियों के कारण उच्च उत्पादकता प्रदान करने वाले बीजों (High Yield Variety Seeds) को प्राथमिकता दी जाने लगी। इससे स्थानीय एवं स्वदेशी बीजों को अपेक्षाकृत कम महत्व प्रदान किया जाने लगा तथा पारंपरिक बीजों के उपयोग एवं संरक्षण में गिरावट आई।
- * समय के साथ यह पाया गया कि उच्च उत्पादकता प्रदान करने वाले बीजों (HYVS) की उच्च लागत तथा इनमें प्रयोग किए जाने वाले रसायनों के व्यापक पर्यावरणीय नुकसान हैं। भारत में हरित क्रांति की सफलता के कारण पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में तो व्यापक वृद्धि देखी गई, किंतु इसके द्वारा उत्पन्न दीर्घकालिक चुनौतियों ने स्थानीय कृषि पद्धतियों तथा स्वदेशी बीजों के संरक्षण की आवश्यकता को अवश्यभावी बना दिया।
- * कृषि की आधुनिक पद्धतियों एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से उत्पन्न उच्च उत्पादकता वाले बीजों की निहित पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 21वीं सदी में जैविक कृषि को व्यापक महत्व दिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, भारत में परंपरागत स्वदेशी बीजों के महत्व तथा इनके संरक्षण उपायों पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है।

स्वदेशी बीजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- * स्वदेशी बीज अपनी उत्पादक क्षमता की सीमितता के कारण प्रचलन से बाहर हो गए थे। किंतु, अनेक ऐसे कारण हैं जो वर्तमान समय में स्वदेशी बीजों के संरक्षण को आवश्यक बनाते हैं।
- * **फसल विविधता में कमी:** यह देखा गया है कि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से तैयार की गई फसलें तथा बीज फसल विविधता को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं हैं। गहन उत्पादन क्षमताओं के कारण इस प्रकार की फसलें प्रकृति में एक-फसली (Single-Croped) होती हैं। ऐसे में मृदा की गुणवत्ता तथा किसानों की लागत को कम करने के लिए फसल विविधीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वदेशी बीजों के माध्यम से एक समय में एक निश्चित क्षेत्र पर अलग-अलग फसलों का रोपण किया जा सकता है।
- * **जैविक खेती के लिए आवश्यक:** जैविक कृषि में रासायनिक तथा संश्लेषित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे में स्वदेशी बीज जैविक कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्वदेशी बीजों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आती है। इसी प्रकार, स्वदेशी बीजों की उपयोगिता शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZINBF) की अवधारणा के साथ भी संगत प्रतीत होती है क्योंकि दोनों का उद्देश्य अंततः किसानों की लागत में कमी लाना है।
- * **हाइब्रिड बीजों के प्रतिकूल प्रभाव:** अधिक उत्पादन तथा कम समय में तैयार होने संबंधी विशेषताओं के कारण देश के अधिकांश भागों में वर्तमान में भी हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के बीजों के उपयोग की व्यापक पर्यावरणीय एवं आर्थिक लागत होती है। भारत, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, अतः कृषि क्षेत्र में भी पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस दिशा में स्वदेशी-बीजों के उपयोग में वृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- * **पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ:** हम देख चुके हैं कि स्वदेशी बीजों के उपयोग से एक तरफ जहां रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आती है, तो वहीं दूसरी तरफ फसल विविधीकरण की विशेषता से युक्त होने के कारण ये बीज जैव-विविधता संवर्धन में भी व्यापक योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार इन्हें सतत एवं टिकाऊ पर्यावरणीय दशाओं के विकास हेतु सहायक माना जा सकता है।

काँप 27 सम्मेलन

जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारणीय मुद्दे एवं भारत की प्रतिबद्धताएं

- संपादकीय डेस्क

विश्व के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में आयोजित काँप 27 सम्मेलन जलवायु शमन एवं अनुकूलन के संबंध में भविष्य की महत्वाकांक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इसमें हानि एवं क्षति कोष की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता किया गया, जिसका विश्व काफी लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे में काँप 27, जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस प्रगति हासिल करने तथा वैश्विक जलवायु एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

6 से 20 नवंबर, 2022 के मध्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि (UNFCCC) के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन (CoP27) मिस्र के शर्म अल-शेख (Sharm El-Sheikh) नामक शहर में आयोजित किया गया, जिसमें 92 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष तथा 190 देशों के लगभग 35,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



- * काँप शब्द 'पक्षकारों के सम्मेलन' (Conference of the Parties) के लिए एक संक्षिप्त नाम है। पक्षकारों का सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसका गठन वर्ष 1994 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने एवं पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए किया गया था।
- * प्रति वर्ष काँप की मेजबानी एक अलग देश द्वारा की जाती है। ये बैठकें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में देशों द्वारा की गई प्रगति एवं पूर्ववर्ती काँप में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं।
- * इस तरह की पहली काँप बैठक 1995 में जर्मनी में आयोजित की गई थी। तब से लेकर वर्तमान तक इसके 27 सम्मेलन हो चुके हैं। इस सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, वार्ताकारों, मंत्रियों एवं नागरिक समाज, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा भी भाग लिया जाता है।

सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम

- * **हानि एवं क्षति कोष (Loss and Damage Fund):** विकासशील देश लगभग 3 दशकों से हानि एवं क्षति के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर रहे थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित हानि को सहन करने वाले देशों को सहायता प्रदान करने हेतु एक हानि एवं क्षति कोष स्थापित करने पर सहमति हुई है।
 - > लॉस एंड डैमेज, जलवायु परिवर्तन से तबाह हुए देशों के भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे को बचाने तथा उसके पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धन को संदर्भित करता है।
- * **प्रौद्योगिकी संबंधित योजना (Program on Technology):** काँप 27 ने विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों (Climate Technology Solutions) को बढ़ावा देने के लिए इस नई पंचवर्षीय कार्य-योजना की शुरुआत की है।

* **अनुकूलन (Adaptation):** काँप 27 सम्मेलन में विभिन्न देश अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य (Global Goal on Adaptation) पर आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य काँप 28 तक के लिए हैं।

> इस सम्मेलन में अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) के लिए कुल 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर

से अधिक की नई प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। यह प्रतिबद्धता अनुकूलन संबंधी प्रभावी समाधानों के माध्यम से सुभेद्य समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद कर सकती है।

- * **शमन (Mitigation):** इस सम्मेलन में 'शमन कार्य-योजना' (Mitigation Action Program) की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य शमन संबंधी महत्वाकांक्षा एवं कार्यान्वयन (Ambition and Implementation) को तत्काल आगे बढ़ाना है।
 - > शमन कार्य-योजना इस सम्मेलन के तत्काल बाद शुरू की जानी है तथा यह 2026 तक जारी रहेगी। इसमें सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 2023 के अंत तक अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में 2030 के लक्ष्यों पर फिर से विचार करें एवं उन्हें मजबूत करें।
- * **फास्ट पहल (FAST Initiative):** मिस्र के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाने हेतु 'जलवायु वित्त योगदान की मात्रा एवं गुणवत्ता' (Quantity & Quality of Climate Finance Contributions) में सुधार हेतु 'सतत परिवर्तन पहल के लिए खाद्य एवं कृषि' (Food and Agriculture for Sustainable Transformation Initiative - FAST) नामक पहल की शुरुआत की घोषणा भी की गई है।
- * **जलवायु वित्त:** इस समझौते में पहली बार जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय जरूरतों को निर्धारित किया गया। इसमें कहा गया है कि अगर 2050 तक 'शुद्ध शून्य' (Net Zero) का लक्ष्य हासिल करना है तो 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रति वर्ष करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना होगा।
- * **वित्त संस्थानों में सुधार:** विश्व बैंक एवं अन्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थान गरीब देशों को उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु संकट के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

प्रौद्योगिकी विकास तथा सामाजिक परिवर्तन

आपसी अंतर्संबंध के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना

• संपादकीय डेस्क

सामाजिक परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी विकास परस्पर निर्भर संकल्पनाएँ हैं। एक तरफ जहाँ समाज के विस्तृत दायरे तथा परिवर्तनों को आत्मसात करने की उसकी क्षमता से प्रौद्योगिकी के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त होता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी उत्तरोत्तर क्रम में विकसित होकर अंततः सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अंतर्संबंधों की इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सकारात्मक तथा नकारात्मक अभिलक्षण जन्म लेते हैं। यह समाज का उत्तरदायित्व होता है कि वह प्रौद्योगिकी के किन प्रभावों को आत्मसात करे और किन्हे छोड़ कर आगे बढ़े। सरकार तथा समाज में रहने वाले लोग सामाजिक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी के उपर्युक्त अंतर्संबंधों को उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं।

कोविड-19 महामारी काल में आधार कार्ड की उपलब्धता के कारण लोगों को 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' के माध्यम से देश के किसी भी भाग में अनाज उपलब्ध कराने में सहायता मिली। सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने पर हम यह पाते हैं कि ऐसा, आधार कार्ड में प्रयुक्त की गई प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के उपयोग में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनके सीखने, सोचने तथा व्यवहार करने के तरीकों में भी बदलाव ला रही है।

* जटिल अंतर्संबंधों तथा साझा हितों वाला मानवीय समूह ही समाज कहलाता है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के कुछ निर्धारित नियम होते हैं, जिनके आधार पर समाज का संचालन होता है। दूसरी तरफ, प्रौद्योगिकी को ज्ञान के एक माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका संबंध नवाचार, आविष्कार तथा तकनीकी साधनों के अनुप्रयोग से है। प्रौद्योगिकी तथा समाज एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वर्तमान विश्व में अत्यंत पिछड़े समाजों में भी मोबाइल तकनीक तथा अन्य प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को देखा जा सकता है, तथा हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के बिना जीवन की कल्पना करना अत्यंत कठिन है।

सामाजिक जीवन में प्रौद्योगिकी का महत्व

* मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी तथा आधुनिक यातायात एवं संचार संबंधी यंत्रों को मानवीय आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। अब ज्ञान की किसी भी शाखा की विस्तृत जानकारी तकनीकी अनुप्रयोग के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों को पूरा करने में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग आवश्यक हो गया है और इस दिशा में भी प्रौद्योगिकी का अपना विशिष्ट महत्व है।

* यह सर्वमान्य है कि प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन-स्तर एवं जीवन-शैली में सुधार होता है, किंतु अनियंत्रित प्रौद्योगिकी विकास ने मनुष्य के समक्ष अनेक भविष्यजन्य चिंताओं को उत्पन्न किया है। लोगों की प्रौद्योगिकी पर व्यापक निर्भरता ने उनकी शारीरिक गतिविधियों को सीमित किया है, जिसके व्यापक दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार डेटा, आधुनिक विश्व की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, किंतु इसका संरक्षण एक कठिन कार्य बन गया है। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के कारण लोगों की व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के समक्ष संकट उत्पन्न हुआ है तथा उनके विशिष्ट आईडी नंबर,

पैन नंबर तथा डेबिट कार्ड नंबर की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन चुनौतियों के बीच सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तनों पर प्रौद्योगिकी के प्रभावों का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है।

सामाजिक परिवर्तन पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव

* मनुष्य, प्रतिदिन की अपनी गतिविधियों के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। सामाजिक आधुनिकता की परिभाषा ही इसी आधार पर निर्धारित हो रही है कि कौन सा समाज प्रौद्योगिकी का किस स्तर पर उपयोग कर रहा है। सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करने वाले समाजों को आधुनिक माना जाता है। संचार, परिवहन, शिक्षा, अन्वेषण तथा आर्थिक एवं व्यापारिक सभी गतिविधियाँ प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। प्रौद्योगिकी व समाज की उच्च निर्भरता ने अनेक सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए हैं।

समाज पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव

* **सामाजिक पूंजी में वृद्धि:** ई-मेल, इंटरनेट सेवा एवं दूरसंचार के विकास ने जानकारी तक सरल रूप में पहुंच सुनिश्चित करने तथा इसके माध्यम से सामाजिक पूंजी सृजित करने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं। डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक भागीदारी तथा सामाजिक विश्वास के माध्यम से सामाजिक पूंजी को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी मदद मिलती है।

* **कलाकृतियों का संरक्षण:** तकनीकी विकास ने कुछ लुप्त होती कलाकृतियों को संरक्षित करने तथा स्थानीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण आदि में मदद की है। साथ ही भारतीयों को विभिन्न वैश्विक कलाओं/फिल्मों आदि से भी अवगत कराया है। उदाहरण के लिए फिलपकार्ट और अमेजॉन आदिवासी कलाकृतियों, चन्नापटना लकड़ी के खिलौने (Channapatna Wooden Toys) आदि की बिक्री कर रहे हैं।

* **महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक न्याय:** तकनीकी विकास ने भारत में भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता पर प्रहार करने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। इसके कारण महिलाओं के उत्थान एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने में मदद मिली है। जैसे- मी टू मूवमेंट की सफलता का श्रेय सूचना प्रौद्योगिकी को ही जाता है।

- ◆ आतंकी वित्तपोषण की चुनौती : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास
- ◆ कृषि निर्यात में वृद्धि : किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी
- ◆ 17वां G-20 शिखर सम्मेलन : आर्थिक विकास की दूरगामी रणनीतियों का निर्धारण
- ◆ अपशिष्ट से ऊर्जा : महत्व, चुनौतियां एवं प्रयास
- ◆ व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण : नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस

आतंकी वित्तपोषण की चुनौती राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास

18-19 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली में तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई।

❖ **सम्मेलन का उद्देश्य:** आतंकवादी संगठनों को गैर-कानूनी ढंग से दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोकने पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करना।

❖ **पिछले संस्करण:** नो मनी फॉर टेरर (NMFT) कॉन्फ्रेंस का पहला संस्करण वर्ष 2018 में फ्रांस में तथा दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न, 'ऑस्ट्रेलिया' में आयोजित किया गया था।

❖ **मुख्य बिंदु**

- + इस दो दिवसीय सम्मेलन में 78 देशों और 16 संगठनों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के वित्तपोषण में उभरती प्रवृत्तियों, नई उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की।
- + यह माना गया कि नशीले पदार्थों की तस्करी, क्रिप्टो-करेंसी तथा हवाला जैसे संगठित अपराधों के बीच बढ़ते आपसी गठजोड़ ने आतंक के वित्तपोषण की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया है।
- + सम्मेलन में एफएटीएफ ने वित्तीय गबन और आतंक से जुड़ी संस्थाओं के दुष्कृत्यों की जांच पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

NMFT कॉन्फ्रेंस में भारत का रुख

- ❖ भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर निरंतर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत में एक 'स्थायी सचिवालय' (Permanent Secretariat) स्थापित करने का सुझाव दिया।
- ❖ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के बजाय इसका

उपयोग 'आतंकवाद को ट्रैक करने, ट्रेस करने और निपटने' के लिए किया जाना चाहिए।

- ❖ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में कहा कि 'नो मनी फॉर टेरर' पहल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय को आतंकी वित्तपोषण के 'प्रकार-माध्यम-तरीके' (Mode-Medium-Method) को समझना चाहिए।

आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में क्या चुनौतियां हैं?

- ❖ **समन्वय की कमी:** आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने हेतु सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय की कमी है। कई वैश्विक आतंकवाद-रोधी पहलों के बीच एक समन्वित प्रयास गायब है।
- ❖ **राज्य-समर्थित आतंकवाद:** कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को दिया जाने वाला समर्थन 'प्रभावी आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया' (Counter-Terrorism Response) को रोकता है।
 - + जैसा कि तीसरे NMFT सम्मेलन में भारत की ओर से भी इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ देशों ने आतंकवाद को अपनी 'राज्य नीति' बना लिया है। ऐसे में आतंकी पनाहगाहों पर नकेल कसना मुश्किल हो जाता है।
- ❖ **वित्तीय गतिविधियों के बीच अंतर:** एजेंसियों के लिए आतंकवाद से संबंधित वित्तीय गतिविधियों और वैध वित्तीय प्रवाह के बीच अंतर करना मुश्किल होता है।
 - + अक्सर वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में आतंकी-वित्तपोषण किया जाता है। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि कश्मीर घाटी में भारत-पाकिस्तान सीमा व्यापार का उपयोग कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है।
- ❖ **कॉर्पोरेट से जबरन वसूली:** आतंकवादी समूह, विभिन्न व्यवसायों को अपनी नियमित व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन देने के लिए मजबूर करते हैं। भारत में, रेड कॉरिडोर में खनन और बुनियादी ढांचा गतिविधियों में ऐसा देखा जाता है।
 - + ऐसे मामलों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस चुनौती का सामना करती हैं कि वे इन कंपनियों को आतंकवाद के पीड़ित मानें या आतंकवादियों के सहयोगी।

कृषि निर्यात में वृद्धि

किसानों की आय दोगुनी करने की कुंजी

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI-S) द्वारा हाल ही में जारी अर्न्ततम आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 13,771 मिलियन डॉलर हो गया।

❖ पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान यह 11,056 मिलियन डॉलर था।

❖ देश के कृषि उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022 में 19.92 प्रतिशत बढ़कर 50.21 बिलियन डॉलर हो गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 41.87 बिलियन डॉलर था।

❖ महत्वपूर्ण बिंदु

- + **गेहूं का निर्यात:** सरकार ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। फिर भी, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2022 की अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 45.90 लाख टन हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 23.76 लाख टन से लगभग दोगुना है।
- + **बासमती एवं गैर-बासमती चावल का निर्यात:** गैर-बासमती चावल का निर्यात अप्रैल-सितंबर 2021 में 82.26 लाख टन से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2022 में 89.57 लाख टन हो गया, जबकि बासमती चावल 19.46 लाख टन से बढ़कर 21.57 लाख टन हो गया।
- + **चीनी निर्यात:** अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान चीनी निर्यात भी मूल्य के लिहाज से 45.5% बढ़कर 2.65 अरब डॉलर हो गया और यह मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष (2021-22) के 4.6 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार करने की राह पर है।

कृषि निर्यात में वृद्धि से होने वाले लाभ

- ❖ **आजीविका का स्रोत:** कृषि क्षेत्र भारत में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। यह क्षेत्र वर्ष 2021 तक लगभग 150 मिलियन भारतीयों को आजीविका के साधन उपलब्ध करा रहा है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार अभी भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं।
- ❖ **किसानों की आय में वृद्धि:** विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर कृषि-वस्तुओं के निर्यात में होने वाली वृद्धि से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी।
- ❖ **व्यापार संतुलन:** कृषि निर्यात ने लगातार कृषि-आयात से बेहतर प्रदर्शन किया है। कृषि क्षेत्र में नियमित रूप से व्यापार अधिशेष बना हुआ है। यह चालू खाते के घाटे (CAD) को कम करने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है।



❖ **विदेशी मुद्रा भंडार:** भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात दर्ज किया था, जो 2020-21 के 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 20% अधिक है। बढ़ते कृषि निर्यात से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है।

कृषि निर्यात में चुनौतियां

- ❖ **जोत का आकार:** भारत में औसत जोत का आकार (केवल 1.15 हेक्टेयर) कम होने के कारण अधिकांश फसलों की उपज का स्तर विश्व औसत से बहुत कम है।
- ❖ **प्रभावी अध्ययन की कमी:** भारत में वाणिज्य विभाग द्वारा कृषि एवं बागवानी क्षेत्र पर निर्यात के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।
- ❖ **निर्यात प्रतिबंध:** भारत सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्यात प्रतिबंध लगाती है। इससे कृषि निर्यात नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
- ❖ **कृषि सब्सिडी के संबंध डब्ल्यूटीओ में विवाद:** वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body) से शिकायत की थी कि भारत सरकार चीनी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सब्सिडी योजनाओं को लागू कर रही है।

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास


- ❖ **कृषि निर्यात नीति 2018:** इसका प्रमुख उद्देश्य निर्यात टोकरी (Export Basket) एवं गंतव्यों में विविधता लाना तथा स्वदेशी, जैविक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों (Non-Conventional Agricultural Products) के निर्यात को बढ़ावा देना है।
- ❖ **राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं:** कुछ राज्यों द्वारा राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं तथा कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों, कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियों और क्लस्टर स्तरीय समितियों (Cluster Level Committees) का गठन किया गया है।
- ❖ **निर्यात हब पहल (Export Hub Initiative):** वाणिज्य विभाग के 'निर्यात हब पहल' के रूप में जिलों के अंतर्गत सृजित संस्थागत ढांचे (Institutional framework) का उपयोग कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।
- ❖ **किसान कनेक्ट पोर्टल:** किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक 'किसान कनेक्ट पोर्टल' (Kisan Connect Portal) स्थापित किया गया है।

अपशिष्ट से ऊर्जा

महत्व, चुनौतियां एवं प्रयास

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (Waste-to-Energy Programme) को शुरू करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये गए। ये दिशा-निर्देश शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बिजली, बायोगैस और बायो-सीएनजी का उत्पादन करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपशिष्ट-से-ऊर्जा (Waste-to-Energy), वह प्रक्रिया है, जिसमें कचरे या अपशिष्ट का उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

- ❖ एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 'वैल्यू ऑफ वेस्ट' (Value of Waste) रिपोर्ट के अनुसार, 2052 तक इस क्षेत्र का आकार लगभग 11.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है।
- ❖ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट पर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत में शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे से कुल अनुमानित ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 5,690 मेगावॉट है।
- ❖ इन सभी उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों के पर्यावरण में एकत्रित होने से पर्यावरण की हानि होगी; अतः इससे ऊर्जा का उत्पादन करने के बहुआयामी लाभ हैं।
- ❖ हालांकि विकसित देशों में उत्पन्न कचरे की तुलना में भारत में उत्पन्न कचरे में अधिक जैविक घटक, अधिक नमी सामग्री और कम कैलोरी मान होता है, जिसका बिजली उत्पादन की दक्षता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।



अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लाभ

अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण अनुकूल: अपशिष्ट-से-ऊर्जा 'पारंपरिक भस्मीकरण' की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। इससे उस ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा बर्बाद हो जाएगी, इसके साथ ही ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में अपशिष्ट पदार्थों को जलाने से पर्यावरण में इसकी मात्रा में वृद्धि भी नहीं होती है।

❖ **लैंडफिलिंग का विकल्प:** अपशिष्ट का 'लैंडफिल' के रूप में प्रयोग करना ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रचलित पद्धति है। अपशिष्ट प्रबंधन की इस पद्धति से ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन होता है।

+ लैंडफिल कचरे का अपशिष्ट-से-ऊर्जा बनाने में प्रयोग करने से इस कचरे की मात्रा काफी कम की जा सकती है।

❖ **प्रदूषकों को भू-जल में जाने से रोकना:** लैंडफिल क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण से उनमें उपस्थित खतरनाक रसायनों के भू-जल में रिसने का खतरा बना रहता है।

+ प्रदूषकों के जमीन और भू-जल में रिसने से भू-जल प्रदूषण के साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान अपशिष्ट-से-ऊर्जा है।

❖ **संसाधन की पुनर्प्राप्ति:** लैंडफिलिंग के बदले अपशिष्ट-से-ऊर्जा का एक अन्य लाभ मूल्यवान धातु संसाधनों को पुनर्प्राप्त करना है। इस प्रकार से प्राप्त धातुओं को रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जा सकता है और इनका प्रयोग अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जा सकता है। यह भस्मीकरण और लैंडफिल से बेहतर माना जा सकता है।

अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की चुनौतियां

❖ **स्थिरता:** अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के पृथक्करण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। कचरे को मिश्रित रूप में जलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, गीले कचरे से संयंत्र द्वारा बिजली उत्पादन प्रभावित होती है।

+ इसके अलावा, जलने के पश्चात बचे हुए पदार्थ पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जिसे बाद में लैंडफिल में भेजना पड़ता है।

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देश के मुख्य प्रावधान

- परियोजना विकास करने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने के लिए सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम एक छत्रक योजना (Umbrella Scheme) है तथा यह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाना है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, बायोगैस परियोजनाओं के लिए मानक केंद्रीय वित्तीय सहायता 12,000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के लिए 25 लाख रुपये होगी।
- केंद्र सरकार नए बायोगैस संयंत्रों के लिए 75 लाख रुपये प्रति मेगावॉट और मौजूदा इकाइयों के लिए 50 लाख रुपये प्रति मेगावॉट की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण

नवीन मसौदा तथा डेटा गवर्नेंस

18 नवंबर, 2022 को भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 (Digital Personal Data Protection Bill, 2022) का मसौदा सार्वजनिक किया गया। सरकार, सार्वजनिक टिप्पणियों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे 2023 के बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत कर सकती है।

❖ **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2018 में सरकार द्वारा न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर मसौदा तैयार करने का अधिदेश प्राप्त था।



- + सरकार ने श्रीकृष्ण समिति द्वारा तैयार किए मसौदे में संशोधन कर, लोक सभा में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) पेश किया था, जिसे बाद में संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजा गया था।
- + संयुक्त समिति ने दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद अगस्त 2022 में संयुक्त समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को वापस ले लिया था।

व्यक्तिगत डिजिटल डेटा तथा इसका संरक्षण

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी व्यक्ति के निजी जानकारी से संबंधित होता है तथा डिजिटल रूप में किसी डेटा फिड्यूररी के पास संग्रहित होता है। इसमें किसी व्यक्ति से संबंधित डेमोग्राफिक डेटा (Demographic Data) तथा बायोमेट्रिक डेटा (Biometric Data) शामिल होता है।

- ❖ डेमोग्राफिक डेटा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम, निवास स्थान जैसी जानकारी संग्रहीत की जाती है तथा बायोमेट्रिक डेटा के अंतर्गत फिंगरप्रिंट जैसी अतिसंवेदनशील जानकारी को एकत्रित तथा संसाधित (Processed) किया जाता है।
- ❖ डेटा संरक्षण अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसमें व्यक्तिगत डेटा से लेकर सामूहिक अथवा सामुदायिक डेटा की सुरक्षा शामिल है। डेटा संरक्षण के अभाव में लोगों की निजता के अधिकार के साथ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- ❖ वर्तमान वैश्वीकृत, इंटरनेट संचालित तथा तकनीकी युग में राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा सरकारों द्वारा की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया में व्यापक मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है।
- ❖ ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अतः उपर्युक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए डेटा संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है।

नवीन मसौदा विधेयक के मुख्य प्रावधान

- ❖ **डेटा प्रिंसिपल:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 के मसौदे के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में उन बच्चों के माता-पिता/वैध अभिभावकों को उनका 'डेटा प्रिंसिपल' (Data Principal) माना जाएगा। डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है।
- ❖ **डेटा फिड्यूररी:** यह विधेयक ऐसे किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि को डेटा फिड्यूररी के रूप में मानता है, जो 'किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों' को तय करते हैं। ऐसी इकाइयों को एक 'डेटा संरक्षण अधिकारी' और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा।
- ❖ **व्यक्तिगत डेटा का उपयोग:** इस प्रकार के डेटा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये जिनके लिये इसे एकत्र किया गया हो। साथ ही व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिये, जो संबंधित व्यक्तियों के लिए वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
 - + एकत्र किये गए व्यक्तिगत डेटा को स्थायी तौर पर संग्रहीत करने के बजाय इसका भंडारण एक निश्चित अवधि तक सीमित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा का कोई अनधिकृत संग्रह या प्रसंस्करण नहीं किया जाना चाहिए।
- ❖ **व्यक्ति की सहमति आवश्यक:** व्यक्तियों के डेटा को संसाधित करने से पहले संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि उनके किस प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को कौन सी 'डेटा फिड्यूररी' एकत्र करना चाहती है।
 - + साथ ही, इस संग्रह का उद्देश्य क्या है इसकी भी जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। यह विधेयक किसी व्यक्ति को डेटा फिड्यूररी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार प्रदान करता है।
- ❖ **डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन:** विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board) के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। उपभोक्ता, डेटा संरक्षण बोर्ड में डेटा फिड्यूररी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ❖ **उल्लंघनकर्ताओं हेतु दंड का प्रावधान:** विधेयक उन संस्थानों पर दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो संबंधित कानून का उल्लंघन करते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्ताओं को सूचित करने में विफल रहते हैं।

डेटा गवर्नेंस तथा व्यक्तिगत डेटा

डेटा गवर्नेंस, किसी संगठन की वह क्षमता है जो उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा को प्रदान करने और उसके संरक्षण में मदद करती है। इसमें डेटा इंटीग्रिटी, सुरक्षा, उपलब्धता और स्थिरता शामिल है। इसमें वे व्यक्ति, प्रक्रियाएं और तकनीकें भी शामिल हैं जो संगठन को डेटा के उचित संचालन में सक्षम बनाती हैं।

- ❖ वर्तमान समय में किसी भी सार्वजनिक तथा निजी संगठन को चलाने के दौरान बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय मुद्दे

- ◆ राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग

संविधान

- ◆ कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करना
- ◆ राष्ट्रीय संविधान दिवस

शासन प्रणाली

- ◆ भारत के 22वें विधि आयोग का गठन
- ◆ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के 23 सदस्यों की नियुक्ति

न्यायपालिका

- ◆ ईडब्ल्यूएस कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं : सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय मुद्दे

राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग

10 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।

- ❖ याचिकाकर्ता सांसद द्वारा कहा गया कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका आज तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
- ❖ केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को आश्वासन दिया कि जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन वे संबंधित मंत्रालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

राम सेतु के बारे में

- ❖ राम सेतु (Ram Setu), जिसे एडमस ब्रिज (Adam's Bridge) के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और श्रीलंका के बीच 48 किमी. लंबी पुल जैसी संरचना है।
- ❖ प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में यह उल्लेख किया गया है कि इस पुल का निर्माण भगवान राम और उनकी सेना द्वारा किया गया था।
- ❖ परन्तु वैज्ञानिक रूप से इसके गठन के बारे में बहुत कम ज्ञात है।
- ❖ वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु, प्रवाल भित्तियों (coral reefs) से बना एक रेखीय रिज (linear ridge) है तथा यह समुद्र का एक उथला हिस्सा बनाता है, जो अवसादन प्रक्रियाओं (sedimentation processes) से लगातार प्रभावित हो रहा है।

- ◆ सुप्रीम कोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट पर लगाई रोक

नियम-विनियम एवं दिशानिर्देश

- ◆ आधार नियमों में संशोधन
- ◆ टेलीविजन चैनलों के लिए नए दिशा-निर्देश

कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ ग्रेट निकोबार द्वीप की व्यापक विकास परियोजना
- ◆ डिजिटल शक्ति 4.0 का शुभारंभ
- ◆ मनरेगा लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण की पहल : प्रोजेक्ट उन्नति

सूचकांक एवं रिपोर्ट

- ◆ गतिशील भू-जल संसाधन आकलन रिपोर्ट, 2022

संक्षिप्तिकी

- ◆ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण
- ◆ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन का मसौदा
- ◆ चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन को न्यायालय में चुनौती

न्यूज बुलेट्स

- ❖ यह दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक स्थित है।

पारिस्थितिक एवं जैव विविधता संबंधी मूल्य

- ❖ मन्नार की खाड़ी में थूथुकुडी (Thoothukudi) और रामेश्वरम (Rameswaram) के बीच कोरल रीफ प्लेटफॉर्म को 1989 में एक समुद्री जीवमंडल रिजर्व (Marine Biosphere Reserve) के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- ❖ कथित तौर पर इस क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की 36,000 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव और रेतीले तटों से घिरा हुआ है, जिन्हें कछुओं के घोंसले के लिए अनुकूल माना जाता है।
- ❖ यह मछलियों, झींगा मछलियों, झींगों और केकड़ों के लिए भी प्रजनन स्थल भी है।
- ❖ इस क्षेत्र में मछली की 600 दर्ज की गई किस्मों में से 70 को व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
- ❖ यह क्षेत्र पहले से ही थर्मल प्लांटों से निकलने वाले पानी, नमक निर्माण स्थलों (salt pans) ने निकलने वाले नमकीन पानी के बहाव तथा कोरल के अवैध खनन के कारण खतरे में है।

सेतुसमुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट (SSCP)

- ❖ यह भारत और श्रीलंका के बीच उथले समुद्री जल में नौवहन मार्ग बनाने के लिए एक प्रस्तावित परियोजना है, जो भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर एक निरंतर नौगम्य समुद्री मार्ग प्रदान करेगी।
- ❖ यह परियोजना उथले पाक जलडमरूमध्य को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का प्रस्ताव करती है।
- ❖ 1860 में अल्फ्रेड डी टेलर द्वारा परिकल्पित इस परियोजना को वर्ष 2005 में भारत सरकार की स्वीकृति मिली।



सामाजिक परिदृश्य

नीति एवं पहल

- ◆ राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति

सामाजिक न्याय


- ◆ पाँक्सो का उद्देश्य सहमतिपूर्ण संबंधों को आपराधिक बनाना नहीं
- ◆ भारत में बाल विवाह के मामलों में कमी

नीति एवं पहल

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (National Suicide Prevention Strategy) का अनावरण किया। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई अपनी तरह की पहली नीति है।

- ❖ यह रणनीति विभिन्न हितधारकों को देश में आत्महत्या की रोकथाम हेतु प्रयास करने के लिए एक कार्रवाई रूपरेखा प्रदान करती है।



प्रमुख बिंदु

- ❖ **लक्ष्य (Aim/Goal):** वर्ष 2030 तक देश में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु की दर को 10 प्रतिशत तक कम करना।
- ❖ **समग्र दृष्टिकोण (Vision):** एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसमें लोग अपने जीवन को महत्व दें तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें समर्थन मिले।
- ❖ **रणनीति के उद्देश्य:** इस रणनीति के निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्देश्य हैं-
 1. अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना;
 2. अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में मनोरोग बाह्य रोगी विभाग (Psychiatric Outpatient Departments) की स्थापना करना, जहां जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान की जाएं;

अति संवेदनशील वर्ग

- ◆ आदिवासी समुदायों की विरासत प्रदर्शित करने की पहल

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- ◆ यूजीसी पीएचडी विनियम, 2022
- ◆ जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव

सामाजिक सुरक्षा

- ◆ कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

संक्षिप्तिकी

- ◆ नई चेतना अभियान का शुभारंभ
- ◆ 8 अरब हुई वैश्विक आबादी

3. अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक मानसिक कल्याण पाठ्यचर्या (Mental Well-being Curriculum) को एकीकृत करना।

कार्यान्वयन तंत्र एवं रूपरेखा

- ❖ **कार्यान्वयन तंत्र (Implementation mechanism):** इस रणनीति का कार्यान्वयन निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा-
 - + देश में नेतृत्व, साझेदारी और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।
 - + आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
 - + आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक लचीलापन व सामाजिक समर्थन विकसित करना तथा आत्मघाती व्यवहार के प्रति समाज में व्याप्त कलंक को कम करना।
- ❖ **कार्यान्वयन ढांचे में शामिल हितधारक:** राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के कार्यान्वयन ढांचे में, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार 5 प्रमुख हितधारकों की परिकल्पना की गई है। ये हैं:
 1. राष्ट्रीय स्तर के मंत्रिस्तरीय हितधारक,
 2. राज्य स्तर के सरकारी हितधारक,
 3. जिला स्तर के सरकारी हितधारक,
 4. निम्हान्स-बैंगलोर एवं अन्य शीर्ष मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
 5. अन्य रणनीतिक सहयोगी।

भारत को आत्महत्या रोकथाम नीति की आवश्यकता क्यों है?

- ❖ डब्ल्यूएचओ के 2018 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 8,00,000 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु होती है। इनमें से लगभग एक-तिहाई आत्महत्याएं युवा लोगों में होती हैं।
- ❖ भारत में 15-29 वर्ष की आयु के लोगों में आत्महत्या, मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है। यह सड़क यातायात दुर्घटनाओं तथा मातृ मृत्यु दर से संबंधित मृत्युओं से अधिक है।



विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

- ◆ आचार्य जे.बी. कृपलानी की जयंती
- ◆ आदिवासी लोकनायक बिरसा मुंडा

- ◆ गुरु नानक देव की 553वीं जयंती

विरासत

- ◆ शिवाजी महाराज की तलवार
- ◆ काशी तमिल संगमम

पर्व एवं उत्सव

- ◆ वांगला महोत्सव

धर्म एवं संप्रदाय

- ◆ निंगमा संप्रदाय

सांक्षिप्तिकी

- ◆ कडालेकाई परिशे उत्सव


न्यूज बुलेट्स

व्यक्तित्व

आचार्य जे.बी. कृपलानी की जयंती

11 नवंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य जे. बी. कृपलानी (11 नवंबर, 1888 - 19 मार्च, 1982) की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

- ❖ आचार्य कृपलानी का जन्म 11 नवंबर, 1888 को ब्रिटिश भारत काल में तात्कालिक बॉम्बे प्रेसीडेंसी के हैदराबाद शहर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है।



संक्षिप्त परिचय

- ❖ आचार्य कृपलानी का मूल नाम जीवटराम भगवानदास कृपलानी था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा शिक्षाविद् थे।
- ❖ वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और उनकी विचारधारा के लंबे समय से समर्थक थे।
- ❖ गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाने के दौरान उन्हें महात्मा गांधी द्वारा 'आचार्य' उपनाम प्रदान किया गया था।

योगदान

- ❖ बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों की दशा सुधारने से संबंधित चंपारण सत्याग्रह में आचार्य कृपलानी ने गांधी जी का साथ दिया था।
- ❖ वे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी काफी सक्रियता से शामिल थे।
- ❖ आचार्य कृपलानी ने भारत की अंतरिम सरकार (1946-1947) और भारत की संविधान सभा में प्रमुख जिम्मेदारी निभाई थी।
- ❖ वे 1947 में उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जब भारत को आजादी मिली। आचार्य कृपलानी एक दशक से अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष पदों पर आसीन रहे।

स्वतंत्रता के पश्चात

- ❖ इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की उन नीतियों का विरोध किया, जो उनके अनुसार गांधीवादी मूल्यों के खिलाफ थीं।
- ❖ इंदिरा गांधी सरकार की विभिन्न नीतियों का भी विरोध किया। आचार्य कृपलानी ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन में अहम भूमिका निभायी।
- ❖ आचार्य कृपलानी गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता थे; इन्होंने इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखीं।

आदिवासी लोकनायक बिरसा मुंडा

15 नवंबर, 2022 को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाए जाने की घोषणा पिछले साल 10 नवंबर, 2021 को की थी।

- ❖ बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मान दिया जाता है।

जीवन परिचय

- ❖ मुंडा जनजाति से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के लोहारदगा जिले के उलिहातु गांव (जो वर्तमान में झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है) में हुआ था। बिरसा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी।

योगदान

- ❖ **स्वतंत्रता संग्राम:** बिरसा मुंडा देश के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और श्रद्धेय जनजातीय नायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी।
 - + मिशनरियों तथा ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण बिरसा को 24 अगस्त, 1895 को गिरफ्तार कर दो साल की कैद की सजा सुनाई गई।

प्रारंभिकी 2023 विशेष-3

तथ्य एवं कथन आधारित करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022

यूपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुरूप
करेंट अफेयर्स प्रस्तुतीकरण का एक नया अंदाज़

*वर्ष 2021-22 में चर्चा में रहे विषयों, शब्दावलियों एवं टॉपिक्स से संबंधित
तथ्य, आंकड़े, पहल एवं कथनों का परीक्षोपयोगी संग्रह*

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न में पिछले कुछ वर्षों में व्यापक बदलाव देखा गया है, इसके अंतर्गत करेंट अफेयर्स के अधिकांश प्रश्न अब चर्चा में रहे घटनाक्रमों से सीधे-सीधे नहीं पूछे जाते, बल्कि समसामयिक घटनाक्रमों में चर्चा में रहे टॉपिक्स की पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। इसे ध्यान में रखकर ही हम प्रतियोगियों के लिए एक नए पैटर्न में करेंट अफेयर्स का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं।

हमने इस विशेष सामग्री के अंतर्गत करेंट अफेयर्स का पारंपरिक रूप से प्रस्तुतीकरण करने के बजाय समसामयिक घटनाक्रमों में चर्चा में रहे विषयों, शब्दावलियों, संकल्पनाओं तथा प्रौद्योगिकियों आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े, पहल एवं कथन आदि का सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुतीकरण किया है। इस सामग्री को विकसित करते समय हमने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले कथनों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी कथन प्रस्तुत किये हैं। उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपकी सफलता में सहायक होगी।

कृषि क्षेत्र

जीएम फसलें

क्षेत्रफल: वर्ष 2017 में 11.4 मिलियन हेक्टेयर के साथ भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों के तहत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा खेती वाला क्षेत्र था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर था।

- **उत्पादन:** बीटी कॉटन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित पहली और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है। बीटी कॉटन की खेती शुरू होने के बाद से कपास के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

प्रमुख पहलें

- **आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा:** हाल ही में, असम में गुवाहाटी में स्थित रबड़ बोर्ड के सरुतरी अनुसंधान फार्म में विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। इसे केरल स्थित 'भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान' में विकसित किया गया है।
- **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति:** यह समिति भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों को नियंत्रित करती है।
- ये समिति पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- ☆ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना तथा कार्यान्वयन हेतु ढांचा स्थापित करता है।
- ☆ यह पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिये त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की प्रणाली निर्धारित करता है।
- ☆ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का अधिनियमन जून, 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजित 'मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया। यह अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिये गए निर्णयों को लागू करता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण कथन

- वर्ष 2002 में भारत में लॉन्च किया गया बीटी कॉटन (BT Cotton) देश की एकमात्र जीएम फसल है।, जिसे महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी और अमेरिकी बीज कंपनी मोनसेंटो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
- धरा सरसों हाइब्रिड (डीएमएच-11) एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों का आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण है।
- डीएमएच-11 में दो एलियन जीन (बार्नसे और बारस्टार) होते हैं, जिन्हें बैसिलस एमाइलोलिफेसियन्स (Bacillus Amylolifescens) नामक मिट्टी के जीवाणु से अलग किया जाता है।
- डीएमएच-11 में दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है।
- जीएम क्रॉप्स उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खेती के दौरान कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है।

ड्रिप सिंचाई

वर्षा पर आधारित: भारत का सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि का लगभग 49% है। शेष 51% कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है।

- **सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर:** फरवरी 2022 तक भारत में 137.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।
- **वित्तीय सहायता/सब्सिडी:** सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सांकेतिक इकाई लागत के 55% की दर से वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान करती है।

प्रमुख पहलें

- **प्रति बूंद अधिक फसल:** कृषि और किसान कल्याण विभाग देश के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को लागू कर रहा है।
 - प्रधानमंत्री प्रति बूंद अधिक फसल सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **सूक्ष्म सिंचाई कोष:** सूक्ष्म सिंचाई के कवरज के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन

- ☆ इसे 2010 में शुरू किया गया था, जो पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता, फसल की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहनों, दालों एवं मक्का की एकीकृत योजना, कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन आदि कार्यक्रमों के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के समावेश को बढ़ावा देगा।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण कथन

- सभी सिंचाई विधियों में ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल है और इसका प्रयोग शुष्क क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए किया जा सकता है।
- इसके कारण उर्वरक और पोषक तत्वों की हानि कम से कम होती है। इसके लिए पुनर्नवीनीकरण गैर पीने योग्य पानी का उपयोग किया जा सकता है। ये जल अनुप्रयोग दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- ड्रिप सिंचाई, जिसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, जिसमें पानी को पौधे की जड़ के पास उत्सर्जक या ड्रिपर्स के माध्यम से मिट्टी की सतह पर या मिट्टी के नीचे पहुंचाया जाता है। इसे 1960 के दशक की शुरुआत में इजराइल में विकसित किया गया था।

लिविचड नैनो यूरिया

उत्पादन और प्रेषण: केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के अनुसार, 1 अप्रैल, 2022 से 10 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान नैनो यूरिया का उत्पादन और प्रेषण लगभग 1.23 करोड़ बोतलें हुई थीं। नैनो यूरिया की मौजूदा इकाई की उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बोतल प्रतिदिन है।

- **उत्पादन:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नैनो यूरिया की लगभग 6.0 करोड़ बोटलों का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रमुख पहलें

- **संयंत्र का उद्घाटन:** मई, 2022 को प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में तरल नैनो यूरिया (Liquid Nano Urea) निर्मित करने के संयंत्र का उद्घाटन किया।
 - ◆ इसे कलोल में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको) द्वारा संचालित परिसर में स्थापित किया गया है।
- **उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985:** कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इसमें नैनो यूरिया को नैनो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अस्थायी रूप से अधिसूचित किया है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण कथन

- लिक्विड नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया को बदलने के लिए विकसित किया गया है और यह यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है।
- इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (Nano Biotechnology Research Centre), कलोल, गुजरात में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। तरल नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है, जिसे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
- ये पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करती है, फसल उत्पादकता में वृद्धि करती है और मिट्टी, पानी एवं वायु प्रदूषण को कम करती है।
- लिक्विड नैनो यूरिया एक नैनोकण के रूप में यूरिया है। यह पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है।

मत्स्यन

उत्पादन एवं निर्यात: भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और मछली एवं मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

- **मत्स्य पालन क्षेत्र:** भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि मछली उत्पादक देश है। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 7.7% है। वर्ष 2021-22 के दौरान 161.87 लाख टन (अंतिम) के रिकॉर्ड मछली उत्पादन हुआ था।
- **सकल मूल्यवर्द्धन में योगदान:** मत्स्यन क्षेत्र देश के सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में लगभग 1.24% और कृषि जीवीए में 7.28% से अधिक का योगदान दिया है।

प्रमुख पहलें

- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:** यह योजना 2020 में शुरू किया गया था। यह भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और आत्मनिर्भर भारत योजना का एक हिस्सा है।
 - ◆ इसका उद्देश्य 2020-2025 की अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है।
- **मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड:** वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन विभाग 7,522.48 करोड़ रुपये के कुल फंड आकार के साथ मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया था।

- ◆ इसका उद्देश्य 2022-23 तक देश के मछली उत्पादन को लगभग 20 मिलियन टन के स्तर तक बढ़ाने के लिए 8-9 प्रतिशत की सतत वृद्धि हासिल करना है।

डॉ. बी. मीनाकुमारी समिति

- ☆ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की व्यापक समीक्षा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. बी. मीनाकुमारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।
- ☆ समिति ने मत्स्य पालन का सतत दोहन और तटीय क्षेत्रों में संसाधन खपत के लिए एक समग्र योजना की सिफारिश की थी।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण कथन

- मत्स्यन क्षेत्र को एक सनराइज क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पालन क्षेत्र 20 मिलियन से अधिक मछुआरों एवं मछली किसानों के लिए आजीविका का प्रत्यक्ष स्रोत है।
- नीली क्रांति मछुआरों एवं मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मत्स्य पालन के एकीकृत एवं समग्र विकास और प्रबंधन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- मछुआरों और मछली किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

प्राकृतिक कृषि

कुल जैविक उत्पादक: रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्वे 2021 के अनुसार भारत जैविक कृषि का अभ्यास करने वाले 187 देशों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। विश्व के कुल जैविक उत्पादकों में से 30% भारत में स्थित हैं।

- **पुनर्योजी कृषि:** नीति आयोग के अनुसार भारत में लगभग 2.5 मिलियन किसान पुनर्योजी कृषि का अभ्यास कर रहे हैं। अगले 5 वर्षों में इसके 20 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है।

प्रमुख पहलें

- **कृषि वानिकी पर उप-मिशन:** इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु सुगमता और आय के अतिरिक्त स्रोतों में वृद्धि हेतु कृषि फसलों के साथ-साथ बहुउद्देशीय पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- **सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन:** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने हेतु कृषि को लचीला बनाने के लिये तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करना है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** इसे वर्ष 2015 में जल संसाधनों के मुद्दों को संबोधित करने और एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था, जो 'प्रति बूंद अधिक फसल' की परिकल्पना करती है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास:** यह उत्पादकता में वृद्धि करने तथा जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है।